संख्या-43/2017/384/92-2-17-96(जांच)/2016

प्रेषक,

बाबूराम,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य प्राविधिक परीक्षक,
तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

मीण अभियंत्रण अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक:: 10 मार्च, 2017

विषय:- ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मिर्जापुर के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, श्री सुरेश चन्द्र व अन्य द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो की टी0ए0सी0 जॉच के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-45/2016/37मं0आ0/92-2-16-96(जांच) /2016 दिनांक 16.08.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री संतोष पाण्डेय, विशेष संवाददाता, दैनिक श्री टाइम्स एवं श्री न्यूज चैनल, लखनऊ के पत्र दिनांक 18.07.2016 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मिर्जापुर के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, श्री सुरेश चन्द्र व अन्य द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की टी0ए0सी0 जाँच कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2- इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मिर्जापुर के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, श्री सुरेश चन्द्र व अन्य के विरूद्ध शासनादेश दिनांक 16.08.2016 द्वारा संस्थित टी0ए0सी0 जांच को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

बाबूराम
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in